पत्र संख्या-स्था-5(ख) पदोन्नति वरिष्ठ सहायक 2023-24// 2272 // राज्य कर

कार्यालय, आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक //03 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2023

समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/
आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि वर्तमान में चयन वर्ष 2023-24 के उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही विभागीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित करायी जानी है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के नियम 7(2) में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठ सहायकों को ही वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार पात्रता सूची में रखा जा सकता है। राज्य कर विभाग में दिनांक-30-06-2018 तक कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों द्वारा चयन वर्ष 2023-24 के प्रथम दिवस दिनांक-01-07-2023 को 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली गयी है जिस कारण सेवा नियमावली मे दिये गये प्राविधानानुसार इन कार्मिको की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही कराया जाना प्रस्तावित है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक-30-06-2018 तक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की अपूर्ण वार्षिक प्रविष्टियां पूर्ण कराते हुये अद्यावधिक मूल चरित्र पंजिकाये तथा निम्नलिखित प्रारूप -क में सूचना मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक-08-08-2023 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

-::प्रारूप-क::-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	मौलिक नियुक्ति की तिथि/ कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	यदि अनुशासनिक/ अभियोजन की कार्यवाही / सर्तकता जॉच/ई0ओ0 डब्ल्यू0 की जॉच चल रही है अथवा एंसी किसी कार्यवही के फलस्वरूप कोई आदेश/ दण्डादेश पारित किया गया है अथवा उसके किसी प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया है उसका विवरण जिसमें वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि/ मन्तब्य आदि अंकित किया गया है तो उसके विरूद्व दिये गये प्रत्यावेदन की स्थिति सहित अंकित किया जाये
1	2	3	4	5	6	7

कृपया यह भी सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित कार्मिक की चरित्र पंजिकाओं में चस्पा वार्षिक प्रविष्टियां मूल रूप में स्वीकर्ता अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित / स्वीकृत हो तथा दण्डादेशों/ प्रतिकूल कार्यवाही विषयक आदेशों की प्रतियां भी संलग्न हो।

स्मरण रहे की उपरोक्त निर्धारित प्रारूप के स्तम्भ-07 की वॉछित सूचना तथा अन्य वॉछित अभिलेख निर्धारित अवधि में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है यदि निर्धारित समयावधि में उक्त वॉछित सूचनाये अप्राप्त रहती है एवं चयन की कार्यवाही में ऐसी किसी सूचना/ प्रविष्टि के अभाव में अन्यथा निर्णय लिए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है ता उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(ओ0पी0वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक-// उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:-

1- अपर निदेशक,राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक -30-06-2018 तक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित सूचना एवं चरित्र पंजिका कृपया निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त वॉछित सूचनाएं मुख्यालय पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- संयुक्त आयुक्त (आइ0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- पटल प्रभारी स्था-5(क), स्था-5(क) (पूर्व मनोरंजन कर) एवं चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ (स्था0अरा0अनु0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय में दिनांक-30-06-2018 तक नियुक्त समस्त कनिष्ठ सहायकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित सूचना एवं चरित्र पंजिका सारांश निर्धारित समयावधि पूर्ण कराते हुये स्था-5ख पटल, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

03/08/2023

(दिनेश कुमार वर्मा)
संयुक्त आयुक्त(स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।